

From
Sri K.C. Srivastava
Deputy Registrar (M)
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The District Judge,
Allahabad

Request-104

54

6298

No. /IV-2699 /Admn. (A) Dated: 9.5.2003

Subject: Issue of No Objection Certificate in favour of
Sri Brijendra Kumar Tyagi, Civil Judge (S. Div.) ^{Allahabad} for obtain-
ing a passport.

Sir,

With reference to your endt. No. 1822/I dated 22-11-2002

on the above subject, I am directed to send herewith a
'No Objection Certificate' in favour of Sri Brijendra Kumar Tyagi
Civil Judge (S. Div.), Allahabad for obtaining a passport provided that
before proceeding abroad he will obtain permission of the
Court for the same.

Sri Brijendra Kumar Tyagi may kindly be informed
accordingly. The No Objection Certificate may be handed over to
Sri Brijendra Kumar Tyagi.

Yours faithfully,
Srivastava

Encl: No Objection Certificate

Deputy Registrar (M)

So Admin A4
may kindly issue.

Kamal
31/5/03

DRCM
may kindly issue?

R Kumar
5.5.03

Letter with smh
no dues attached
Datta

Issue
Srivastava
5/5/03



o/c

Request-104

NO OBJECTION CERTIFICATE

Certified that Sri Brijendra Kumar Tyagi is a temporary employee of U.P.Nyayik Sewa from 18.3.1996 and is at present holding the post of Civil Judge (Junior Division), Allahabad. This High Court has no objection to his acquiring Indian Pass-Port. The undersigned is duly authorised to sign this 'No Objection Certificate.'

Dated: 1-5-08

[Signature]
REGISTRAR (B)
High Court of Judicature at
Allahabad (U.P.)

[Signature]
REGISTRAR
High Court of Judicature at
Allahabad.

संख्या 1/3/98-का प्रयको/1999

प्रेषक,

डा० योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संखनऊ : दिनांक 14 जून, 1999

विषय :- विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कार्मिक विभाग-
प्रशिक्षण समन्वय
कोष्ठक

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रशिक्षण, विदेशों में आयोजित सेमीनार/विचार गोष्ठी/सम्मेलन/ सिम्पोजियम/ स्कालरशिप/फेलोशिप/विदेश प्रतिनियुक्ति एवं व्यक्तिगत कार्यों से विदेश यात्रा किये जाने की नीति से सम्बन्धित पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

1-विदेश सेवायोजन-

विदेश सेवायोजन हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करने एवं उन पर अनुमति प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रकरणों का परीक्षण किया जाय :-

- (1) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जो 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सेवारत हों, और जिन्हें सम्बन्धित विषय की विशिष्टता में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो।
- (2) ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित न किए जाय, जिनके विरुद्ध सतर्कता/प्रशासनाधिकरण/विभागीय जांच लिखित हो, अथवा जिनके विरुद्ध उक्त में से कोई जांच किए जाने का निर्णय ले लिया गया हो।
- (3) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जिनके धारणाधिकार मूल विभाग में बनाये रखना सम्भव हो।
- (4) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (यदि कोई हो) पर प्रस्तुत किये गये हों।

अनुमोदन का स्तर-

उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त विदेश सेवायोजन से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों के अग्रसारण हेतु विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा० मुख्या मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

2-विदेश प्रतिनियुक्ति-

विदेश सेवायोजन के स्थान पर विदेश में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों का परीक्षण उपर्युक्त प्रस्तर-1 के प्राविधानों के अनुसार करते हुए, उक्त प्रस्तर के अनुसार ही सामान्य स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। विदेश में प्रतिनियुक्ति को अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, और उक्त अवधि के समाप्त होने के 06 माह पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाये जाने की कार्यप्रणाली प्रारम्भ कर दी जाय।

22 JUL 1999

Handwritten signatures and initials, including 'S. O. A. M. A.' and 'D. R. C. M.' with dates like '6/18/99'.

Handwritten signature 'S. B. S. G.' with initials 'P. S.' and date '15.8.99'.

663

ATR

Handwritten notes and signatures, including '3890'.

Handwritten signature 'R. C. M.' and 'A. Singh'.

Handwritten notes '6.8.99' and 'K.R.'.

107

Handwritten signature 'K. R.'.

9.8.99

561 IVF-101

1 Report-101/3 B.L.S. 11.8.99

3—विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप एवं स्कारशिप/फेलोशिप आदि में नामांकन/भाग लेना :-

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सरकारी सेवकों को विदेशों में आयोजित सेमीनार एवं गोष्ठियों आदि के लिए नामित किया जाता है। साथ ही साथ अन्य विदेश सरकारों द्वारा भारत के लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, कलाकारों आदि को समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे समस्त कार्यक्रमों हेतु नामित किए जाने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के उपरान्त ही उनका नामांकन/आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जाय :-

- (1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवकों की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में एक वर्ष अर्थात् 46 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिल किया जा सकता है किन्तु उक्त शिथिलीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग को यह प्रमाण देना होगा, कि सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयु सीमा के अधिकारी या तो उपलब्ध नहीं हैं, अथवा नामित किए जाने वाले अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त हैं।
- (2) लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 50 वर्ष तक की आयु के सरकारी सेवकों को नामित किया जाय।
- (3) यदि किसी प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम में सम्बन्धित विदेश सरकार/संस्था द्वारा कोई भिन्न आयु-सीमा निर्धारित की गयी है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।
- (4) कम से कम 09 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों के ही नामांकन किए जाय।
- (5) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिन्हें संबंधित क्षेत्र/विषयवस्तु का समुचित ज्ञान न हो।

नोट :- (1) 30 दिन तक की अवधि के कार्यक्रमों को लघु अवधि के कार्यक्रम तथा 30 दिन से अधिक अवधि के कार्यक्रमों को दीर्घकालीन कार्यक्रम माना जायेगा।

(2) 15 दिन से कम अवधि के कार्यक्रमों में नामांकन हेतु 50 वर्ष की आयु-सीमा लागू नहीं होगी।

(6) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच/प्रशासनाधिकरण जांच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत न किए जाय, जिनके सम्पूर्ण सेवाभिलेख निम्न स्तर के रहें हों, अथवा जिन्हें गम्भीर प्रकृति की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी हो।

(7) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने पूर्व में एक माह अथवा इससे अधिक अवधि का विदेश प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को पुनः एक माह से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित न किया जाय। यद्यपि ऐसे सरकारी सेवकों को एक माह से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(8) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने पूर्व में अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करा कर, विदेश प्रशिक्षण आदि में भाग लिया हो, को पुनः विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि में नामित किए जाने पर तभी विचार किया जाय, जब उक्त सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को मिलने की सम्भावना हो, और कम से कम दो वर्ष तक उक्त सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति पर भी बने रहने की सम्भावना हो।

(10) भिन्न-भिन्न श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के नामांकन किए जाय, ताकि प्रत्येक स्तर के सरकारी सेवक को प्रशिक्षित कराया जा सके।

(11) विदेश प्रशिक्षण आदि में नामांकन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जाय, कि उक्त प्रशिक्षण की सुविधा देश में उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी अन्य कारण से उक्त विदेश प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

(12) नामांकन करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के उपयुक्त सरकारी सेवकों की पात्रता पर भी भली-भाँति विचार किया जाय।

(13) यदि सम्बन्धित कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो प्रस्ताव पर उच्चानुमोदन प्राप्त करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति अवश्य प्राप्त की जाय।

(14) स्वायत्तशासी निकायों एवं निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम पर यदि सम्बन्धित निगम आदि के द्वारा ही व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसे प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय, कि सम्बन्धित निगम उक्त व्यय-भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

अनुमोदन का स्तर -

(1) उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित विभागों द्वारा प्रस्ताव पर सीधे विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी० सी० एस०) के अधिकारियों से संबंधित प्रस्तावों पर नियुक्ति विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(3) किसी प्राविधान को अपरिहार्य परिस्थितियों में शिथिल किये जाने का प्रस्ताव होने पर प्रकरण को विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के अनुमोदनपरान्त कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय, जो मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को वापस करेंगे, तथा कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलीकरण पर सहमति प्रदान किए जाने की स्थिति में प्रस्ताव पर विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

4—विदेश सेवायोजन, प्रतिनियुक्ति एवं विदेश प्रशिक्षण आदि हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया -

(1) विदेश प्रशिक्षण आदि की अनुमति प्रदान करते समय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि संबंधित सरकारी सेवक ने किसी विदेशी संस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सीधे ही उक्त निमंत्रण प्राप्त तो नहीं कर लिया है? सीधे निमंत्रण प्राप्त करना शासन की नीति के विपरीत है, अतः ऐसे प्रकरणों का भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही उन पर अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाही की जाय।

(2) विदेश सेवायोजन/प्रतिनियुक्ति तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में आवेदन करने की तिथि समीप होने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा संबंधित संस्था/संगठन को सीधे आवेदन पत्र (अग्रिम प्रति के रूप में) भेजा जा सकता है, किन्तु संबंधित सरकारी सेवक का यह दायित्व होगा, कि वह अपने विभाग के माध्यम से भी आवेदन-पत्र का अग्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करे।

5—निजी कार्य/निजी व्यय पर विदेश यात्रा -

यदि कोई सरकारी सेवक अपने व्यय पर, नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर, निजी कार्य से यथा-विदेश में प्रयास कर रहे अपने संबंधी से मिलने, उपचार कराने एवं पर्यटन आदि के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है, तब भी देश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित होने के कारण निम्न मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय:-

(1) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उसकी व्यक्तिगत विदेश यात्रा के संबंध में, समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय।

(2) ऐसे सरकारी सेवक को अनुमति प्रदान न की जाय, जिसके विदेश जाने से भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी द्विविधा की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(3) ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमति प्रदान न की जाय, जिन्हें इससे पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत कर दिया गया हो और उक्त अस्वीकृति का आधार अभी विद्यमान हो।

(4) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि संबंधित सरकारी सेवक इससे पूर्व कब तथा किस प्रयोजन से विदेश यात्रा पर गया था।

अनुमोदन का स्तर -

(1) ऐसे सरकारी सेवक जिनके सेवाभिलेख विभागाध्यक्ष कार्यालयों में रखे जाते हैं, को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।

(2) जिन सरकारी सेवकों के सेवाभिलेख शासन स्तर पर रखे जाते हैं को विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।

(3) आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों को नियुक्ति विभाग द्वारा मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जाय।

नोट—विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट निर्गत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कार्यवाही भी उपर्युक्तानुसार ही सुनिश्चित की जाय।

(2) विदेश सेवायोजन, विदेश प्रतिनियुक्ति, विदेश प्रशिक्षण एवं निजी कार्य से विदेश यात्रा के प्रकरणों पर शासन द्वारा निर्गत उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
डा० योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या 1/3/98 (1)-का प्रसकी/1999, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त मण्डलाध्यक्ष / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार,
सचिव।

From,
Brijendra Kumar Tyagi,
Civil Judge (Junior Division)
West, Allahabad.

To,
The Registrar General,
Hon'ble high Court
Allahabad.

Through,
The District Judge,
Allahabad.

Subject : Issue of no objection certificate for obtaining international passport.

Respected Sir,

Respectfully I have to submit that for the purpose to visit foreign country in future, I want to obtain an international passport for which no objection certificate from Hon'ble Court is required.

I further declared that there is no possibility of arising embarrassing position before the Government of India or the Government of U.P. due to my visit to foreign country. Issue of no objection certificate for obtaining a passport was never refused to me because this is my first request for issue of no objection certificate.

I further declare that I have never visited any foreign country earlier.

It is therefore humbly requested that no objection certificate may kindly be issued in my favor so that I may obtain an international passport.

Date : 21. 11. 02

With regards

Your faithfully

BK Tyagi
21.11.02
Brijendra Kumar Tyagi
Civil Judge, (Junior Division)
West, Allahabad.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद
पत्रांक : 1822/1 पत्रांक : 22-11-02

कमलेश्वर
22.11.2002
जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद

2
D.R. (M)
for
25 NOV 2002

for
ACJ
22
7/11

23/11/02
844
26.11.02

Book No.	18413
File No.	IV/2699
Serial No.	35

Sh
27/11/02
28/11/02
6-1-03